


26. 9. 2021

तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा कदीमी प्रचलित सरतों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु सरता प्रस्ताव मय दरतावेजात पेश किया गया। पटवार मंडल देरवाला के राजस्व साम हनुमानपुरा में हाल भूमि खसरा नं. 59, 60, 54, 47, 43, 311/43 व 120 में से जाने वाला प्रचलित सरता जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, इत्यादि में सरता दर्ज करने की अभिपंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया जाकर सरता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुन्झुनू को सुना गया। रिपोर्ट अनुसार उक्त सरता मौके पर चालू होना पाया गया तथा संलग्न ग्राम पंचात के अनापति प्रमाण पत्र के अनुसार मौके पर सरता चालू है तथा कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार झुन्झुनू के अनुसार प्रचलित सरतों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिरसों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/ 2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.21 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी सरतों को रिकार्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (सरता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक सरता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य राक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक सरता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन सरता दर्ज करें। सरता प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रचलित सरते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0मु0 सरता दर्ज होने के उपरान्त निजी खातेदारी में ही रहेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फेशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।


अखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)